संख्या-367/2017/64/22-2-2017-17(218)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मसरूर उल्ला पुत्र श्री रहमत उल्ला निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2 सलाहकार समिति/ (एम0-22-12-2016) दिनांक-03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मसरूर उल्ला पुत्र श्री रहमत उल्ला, निवासी-कोतवाली रोड छिपतहरी, थाना-कोतवाली, जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी का अपनी पत्नी से वेतन को लेकर अक्सर झगडा होता था। बन्दी ने अपनी पत्नी से बहन की शादी के लिये रू0 20,000 की तत्काल व्यवस्था करने को कहा। पत्नी द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने पर बन्दी ने दिनांक 23.06.2001 को दुपट्टे से मुंह व नाक बांधकर तथा कूलर की डोरी से गला बांधकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-185/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम, बांदा के आदेश दिनांक 23.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु लगभग 52 वर्ष है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध महिलाओं के प्रति क्रूरता प्रदर्शित करता है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पीठासीन अधिकारी मा0 द्वितीय अपर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, बांदा द्वारा अभिमत दिया गया है कि जेल की आख्या के अनुसार बन्दी का आचरण संतोषजनक रहा है। ऐसी स्थिति में बन्दी को समयपूर्व रिहा किया जा सकता है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी का अपनी पत्नी से वेतन को लेकर अक्सर झगडा होता था। बन्दी ने अपनी पत्नी से बहन की शादी के लिये रू0 20,000 की तत्काल व्यवस्था करने को कहा। पत्नी द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने पर बन्दी ने दिनांक 23.06.2001 को दुपट्टे से मुंह व नाक बांधकर तथा कूलर की डोरी से गला बांधकर हत्या कर दी। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने अपनी पत्नी की क्रूरता से हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता बन्दी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी मसरूर उल्ला पुत्र श्री रहमत उल्ला को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मसरूर उल्ला (बन्दी संख्या-8812/02) पुत्र श्री रहमत उल्ला, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-367/2017/64(1)/22-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in